झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 22 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री दीपक कुमार मेहता
ग्रा०- जमडीहा, प्र०- ऊँटारी रोड
पं०- करकट्टा, जिला- पलामू

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–22/2023

परिवादी श्री दीपक कुमार मेहता, ग्राम–जमडीहा, प्रखण्ड–ऊँटारी रोड, पंचायत–करकट्टा, जिला–पलामू का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ।

अपीलकर्ता द्वारा राशन डीलर के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये:–

1. माह सितम्बर एवं दिसम्बर, 2022 से अबतक का राशन बकाया है एवं प्रति व्यक्ति 500 ग्रा0 चावल काटौती कर दी जाती है।
2. मिट्टी तेल वर्ष 2021से अबतक नहीं दिया गया है।
3. डीलर का कहना है कि अपना नाम किसी और डीलर के पास करा लिजिए, मैं 5 कि0ग्रा0 प्रति व्यक्ति के दर से अनाज नहीं दूँगा।

अपीलकर्ता द्वारा उक्त मामले में दिनांक–23.02.2023 को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू कार्यालय में शिकायत की गई थी परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए आयोग के समक्ष अपील दर्ज की गयी है।

अतः मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–16.05.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–16.05.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

13.4.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश...docx96

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16-05-2023	**वाद सं0–22 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित। मामले की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने यह कहा कि शिकायतकर्त्ता का यह कहना है कि PMGKAY का राशन उन्हें सितम्बर और दिसम्बर माह में नहीं मिला है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि डीलर को अनाज उपलब्ध नहीं करायें जानें के कारण लाभुक को अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे से आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वो वर्ष 2022 के दौरान PMGKAY में जिले को उपलब्ध कराये गये अनाज और जिले द्वारा विभिन्न डीलर को उपलब्ध हुए अनाज की पूरी विवरणी साक्ष्य के साथ भेजें और इस बात का भी उल्लेख हो कि अनाज क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया। इस बीच सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता अनाज लेने जाते ही नहीं हैं। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि वो डीलर के यहाँ जाकर अपना अनाज प्राप्त करें और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देते है कि NFSA के तहत पिछले जितने माहिने का राशन शिकायतकर्ता ने नहीं लिया है पिछला राशन भी शिकातकर्ता को उपलब्ध करायें और यह सुनिश्चित करें की डीलर द्वारा शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराये जा रहे अनाज में एक ग्राम भी कटौती नहीं होनी चाहिए। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
D:\Premlata\Court.docx29		